UPSP010032252012

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–4, सहारनपुर।
उपस्थित: प्रकाश तिवारी(एच.जे.एस.)
विशेष वाद संख्या-40/2012

राज्य बनाम मुशीर पुत्र अब्दुल सलाम,
निवासी- ग्राम थीथकी, थाना देवबन्द,
जिला सहारनपुर।
मु.अ.सं.-662/2011
अंतर्गत धारा 135(2) विद्युत अधिनियम
थाना देवबन्द, जनपद सहारनपुर।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता- श्री रमेश चन्द गर्ग एडवोकेट
विद्वान विशेष लोक अभियोजक- श्री सुभाषचन्द्र

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक प्रकरण में अभियुक्त मुशीर का विचारण थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर की पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 662/2011 में प्रेषित आरोप पत्र **प्रदर्श क-4** अंतर्गत धारा 135(2) विद्युत अधिनियम के अपराध में किया गया है।

2. लिखित तहरीर **प्रदर्श क-1** द्वारा वादी मुकदमा अवर अभियंता सत्य प्रकाश के अनुसार संक्षिप्त अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 20.10.2011 को अधिशासी अभियन्ता देवबन्द के निर्देशन में मैं सत्य प्रकाश अवर अभियन्ता देवबन्द अपने साथ मशकूर हसन ठेकेदार एवं शहवान प्राईवेट लाईनमैन को लेकर ग्राम थीथकी में समय 11:45 बजे विद्युत चैकिंग हेतु पहुंचा तो पाया कि अली हसन पुत्र नजीर निवासी ग्राम थीथकी की जगह पर मुशीर पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ग्राम थीथकी ने 25 के.वी.ए. ट्रांसफार्मर से खींची गयी एल.टी. लाईन पर 3 कोर काले रंग का केबिल डालकर बिना विभागीय स्वीकृति के खड़ा कोल्हू चालू कर रखा है। मौके पर खड़े कोल्हू के कनेक्शन सम्बन्धी कागज मांगे तो कोई कागज व रसीद नहीं दिखायी गयी। अभियुक्त मुशीर के विरूद्ध धारा 135(2) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

3. लिखित तहरीर **प्रदर्श क-1** व चैकिंग रिपोर्ट **प्रदर्श क-2** के आधार पर दिनाँक 21.10.2011 को समय 22:00 बजे चिक संख्या 471 पर मु.अ.सं. 662/2011 धारा 135(2) विद्युत अधिनियम विरूद्ध मुशीर **प्रदर्श क-5** पंजीकृत की गयी जिसकी कायमी रपट संख्या 48 दिनांकित 21.10.2011 समय 22:00 बजे **प्रदर्श क-6** पर की गयी।

4. अन्वेषण हेतु मुकदमा तत्कालीन उपनिरीक्षक हरेन्द्र सिंह सिरोही पी.डब्लू.3 को सुपुर्द किया गया जिनके द्वारा मौके का निरीक्षण कर गवाहों के बयानात आदि अंकित किये गये व नक्शा-नजरी घटनास्थल **प्रदर्श क-3** तैयार कर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मुशीर के विरूद्ध आरोपपत्र अंतर्गत धारा-135(2) विद्युत अधिनियम **प्रदर्श क-4** विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्त **मुशीर** के विरूद्ध धारा- 135(2) विद्युत अधिनियम के अपराध का आरोप दिनांक 14.01.2026 को विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और परीक्षण की मांग किया।

6. अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित प्रपत्रों को प्रस्तुत कर साबित किया गयाः-

क्र.सं.	**अभियोजन प्रपत्र**	**प्रदर्श**	**साबित करने वाले साक्षी का नाम**
i.	लिखित तहरीर	प्रदर्श क-1	पी.डब्लू.1 वादी मुकदमा सत्य प्रकाश, अवर अभियन्ता
ii.	चैकिंग रिपोर्ट	प्रदर्श क-2	पी.डब्लू.1 वादी मुकदमा सत्य प्रकाश, अवर अभियन्ता
iii.	नक्शा-नजरी घटनास्थल	प्रदर्श क-3	पी.डब्लू.3 विवेचक/उपनिरीक्षक हरेन्द्र सिंह सिरोही
iv.	आरोप पत्र	प्रदर्श क-4	पी.डब्लू.3 विवेचक/उपनिरीक्षक हरेन्द्र सिंह सिरोही
v.	चिक एफ.आई.आर.	प्रदर्श क-5	पी.डब्लू.5 सी.सी. 1111 लोकेश कुमार (चिक एवं जी.डी. लेखक)
vi.	कार्बन प्रति जी.डी. कायमी	प्रदर्श क-6	पी.डब्लू.5 सी.सी. 1111 लोकेश कुमार (चिक एवं जी.डी. लेखक)

7. अभियोजन की ओर से आरोप सिद्ध करने के उद्देश्य से निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया।

क्र.सं.	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम
i.	पी.डब्लू.1	सत्य प्रकाश, अवर अभियन्ता (वादी मुकदमा)
ii.	पी.डब्लू.2	शहवान, लाईनमैन
iii.	पी.डब्लू.3	विवेचक/उपनिरीक्षक हरेन्द्र सिंह सिरोही
iv.	पी.डब्लू.4	मशकूर हसन, ठेकेदार
v.	पी.डब्लू.5	सी.सी. 1111 लोकेश कुमार (चिक एवं जी.डी. लेखक)

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. दिनांक 28.03.2026 को लेखबद्व किया गया जिसमे अभियुक्त द्वारा अभियोजन आक्षेपण से इंकार कर रंजिशन झूठा मुकदमा चलाया जाना अभिकथित किया गया।

9. अभियोजन साक्षी/अभियोगी पी.डब्लू.1 सत्य प्रकाश, अवर अभियन्ता द्वारा अपने सशपथ मौखिक साक्ष्य के माध्यम से दिनांक 20.10.2011 को 33/11 सबस्टेशन देवबन्द पर अवर अभियन्ता के पद पर तैनात होना बताते हुये उक्त तिथि को अधिशासी अभियन्ता के मौखिक निर्देश पर मशकूर हसन ठेकेदार, प्राईवेट लाईनमैन शहवान को साथ लेकर ग्राम थीथकी में समय 11:45 बजे विद्युत चैकिंग करने पहुंचने, मौके पर मुशीर पुत्र अब्दुल सलाम ग्राम थीथकी को 25 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मर से एल.टी.लाईन पर तीन कोर की काले रंग की केबिल डालकर बिना विभागीय स्वीकृति

के खड़ा कोल्हू चलाते हुये पाये जाने तथा तहरीर पर हमराहियान के हस्ताक्षर अंकित होने का कथन करते हुये पत्रावली पर मौजूद मूल तहरीर कागज संख्या 4/2 **प्रदर्श क–1** मौके पर अपने हस्ताक्षर में तैयार किया जाना प्रमाणित किया गया। साक्षी द्वारा कथन किया गया कि मौके पर ही चैकिंग रिपोर्ट मेरे द्वारा भरी गयी थी जिसमें 7.5 एच.पी. की विद्युत मोटर का प्रयोग कोल्हू चलाने के लिये किया जाना लिखा है, चैकिंग रिपोर्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, पुष्टि करता हूं जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। मेरे द्वारा कोई भी केबिल काटकर कब्जे में नहीं लिया गया था।

10. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.2 शहवान लाईनमैन द्वारा अपने सशपथ मौखिक साक्ष्य के माध्यम से कथन किया गया कि दिनांक 20.10.2011 को जे.ई. सत्यप्रकाश व ठेकेदार मशकूर हसन के साथ थीथकी गांव में लाईनमैन के तौर पर गया था। जे.ई. साहब ने मुशीर के खड़े कोल्हू को चैक किया तो देखा कि मुशीर ने एल.टी. लाईन से मोटर बिजली की चला रखी थी। जे.ई. साहब ने कनेक्शन सम्बन्धित कागजात मांगे परन्तु मुशीर कागजात नहीं दिखा पाया। जे.ई. साहब द्वारा चैकिंग रिपोर्ट भरी गयी। चैकिंग रिपोर्ट देखकर गवाह ने कहा कि मैं हस्ताक्षर नहीं करता हूं, अंगूठा लगाता हूं। जे.ई. साहब द्वारा तहरीर लिखकर मुकदमा पंजीकृत किया गया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

11. अभियोजन औपचारिक साक्षी पी.डब्लू.3 उपनिरीक्षक/विवेचक हरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा अपने सशपथ मौखिक साक्ष्य के माध्यम से वर्ष 2011 से 2012 करीब एक वर्ष तक थाना देवबन्द पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात होना बताते हुये मु.अ.सं. 662/2011, अन्तर्गत धारा 135(2) विद्युत अधि. की विवेचना स्वयं द्वारा सम्पादित किया जाना, दिनांक 22.10.2011 को सी.डी. पर्चा संख्या 1 किता कर नकल चिक, नकल रपट तथा बयान एफ.आई.आर. लेखक सी.सी. लोकेश कुमार अंकित किया जाना तथा दिनांक 04.12.2011 को सी.डी. पर्चा संख्या 2 किता कर बयान वादी सत्य प्रकाश जे.ई. अंकित किया जाना अभिकथित कर वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी कागज संख्या 7 **प्रदर्श क–3** अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जाना प्रमाणित किया गया। साक्षी द्वारा मशकूर ठेकेदार व भूमि मालिक अली हसन के बयान अंकित किया जाना, दिनांक 12.12.2011 को सी.डी. पर्चा संख्या 3 किता कर लाईनमैन शहवान के बयान अंकित किया जाना अभिकथित करते हुये पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मुशीर पुत्र अब्दुल सलाम निवासी थीथकी के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 466/2011 **प्रदर्श क–4** अन्तर्गत धारा 135(2) विद्युत अधिनियम अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किया जाना प्रमाणित किया गया।

12. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.4 मशकूर हसन, ठेकेदार द्वारा अपने सशपथ मौखिक साक्ष्य के माध्यम से वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक विद्युत विभाग में ठेकेदारी का काम करना बताते हुये कथन किया गया कि मेरे साथ सत्य प्रकाश जे.ई. जो देवबन्द में तैनात थे, उनके साथ काम किया है। मेरे साथ सत्य प्रकाश जे.ई. दिनांक 20.10.2011 को समय 11:45 बजे अली हसन पुत्र नजीर की जगह पर पहुंचे तो मुशीर पुत्र अब्दुल सलाम द्वारा ग्राम थीथकी में 25 के.वी.ए. ट्रांसफार्मर से तीन कोर की केबिल डालकर मोटर से जुड़ी थी। मौके पर मुशीर द्वारा कोई कागज मौके पर नहीं दिखाये। प्रदर्श क–1 पर मेरे हस्ताक्षर है, मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं तथा चैकिंग रिपोर्ट प्रदर्श क–2 पर भी अपने हस्ताक्षर की पहचान करता हूं।

13. अभियोजन औपचारिक साक्षी पी.डब्लू.5 सी.सी. 1111 लोकेश कुमार द्वारा अपने सशपथ मौखिक साक्ष्य के माध्यम से थाना देवबन्द पर 2011 से 2012 तक कांस्टेबल क्लर्क के पद पर कार्यरत होना बताते हुये वादी मुकदमा अवर अभियन्ता सत्य प्रकाश की तहरीर व चैकिंग रिपोर्ट के आधार पर मुशीर पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ग्राम थीथकी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–662/2011, अंतर्गत धारा 135(2) विद्युत अधि. पंजीकृत किया जाना तथा मूल तहरीर की शब्द ब शब्द नकल कर चिक किता किया जाना अभिकथित कर एफ.आई.आर. चिक **प्रदर्श क–5** अपने हस्ताक्षर में तैयार किया जाना प्रमाणित किया गया। इस साक्षी द्वारा उक्त मुकदमे का खुलासा

जी.डी. रपट संख्या–48 समय 22:00 बजे दिनांक 21.10.2011 को किया जाना तथा मूल जी.डी. पांच वर्ष से अधिक समय होने के कारण नष्ट किया जाना अभिकथित करते हुये जी.डी. कायमी अपने हस्ताक्षर में तैयार किया जाना प्रमाणित करते हुये कायमी जी.डी. की कार्बन प्रति को **प्रदर्श क–6** के रूप में साबित किया गया। साक्षी द्वारा अपना बयान दरोगा जी को देना बताया गया।

14. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

15. अभियोजन की ओर से अभियुक्त द्वारा पास के 25 के.वी.ए. ट्रांसफार्मर से खींची गयी एल.टी. लाईन से तीन कोर को केबिल अवैध रूप से जोड़कर 7.5 एच.पी. की विद्युत मोटर द्वारा कोल्हू संचालित किये जाने के आधार पर अभियुक्त को दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है, जबकि अभियुक्त की ओर से निर्दोष होने व रंजिशन झूठा फंसाये जाने का कथन किया गया है। पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों की समीक्षा एवं अभियोजन आक्षेपण की सत्यता की जॉच पत्रावली पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के प्रकाश में किया जाना अपेक्षित है।

16. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के स्तर पर प्रथम तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि कथित चैकिंग दल द्वारा न तो दर्शित दिनांक 20.10.2011 को समय 11:45 बजे बहद स्थान ग्राम थीथकी स्थित अभियुक्त के कथित अवैध कोल्हू की जांच की गयी, न ही अभियुक्त को चोरी से विद्युत संयोजन कर विद्युत का व्यवसायिक उपयोग करते हुये पाया गया और न ही अभियुक्त के कथित कोल्हू से कोई मोटर अथवा 3 कोर का काला केबिल बरामद किया गया, वरन् रंजिशन अभियुक्त को झूॅठा फँसाया गया है। अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा कथित अवैध रूप से चालू कोल्हू अली हसन पुत्र नजीर की जगह पर खड़ा होना बताया गया किन्तु अभियोजन उक्त दर्शित स्थान से अभियुक्त मुशीर की कोई सम्बद्धता स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है। लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 एवं चैकिंग रिपोर्ट प्रदर्श क-2 के अनुसार कथित छापेमारी दिनांक 20.10.2011 को वादी मुकदमा व अन्य 2 व्यक्ति मशकूर और शहवान के साथ किया जाना बताया गया किन्तु लिखित तहरीर एवं चैकिंग रिपोर्ट में मौके से अवैध विद्युत चोरी में प्रयुक्त कथित 7.5 एच.पी. मोटर व तार बरामद किया जाना अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त, चैकिंग रिपोर्ट प्रदर्श क-2 में अभियुक्त के हस्ताक्षर भी मौजूद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से पंजीकृत कराया जाना समस्त अभियोजन कथन को मिथ्या दर्शित करता है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी भी प्रस्तुत नहीं किया गया जो कथित जांच संबंधी अभियोजन कथन को मिथ्या सिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के सशपथ मौखिक साक्ष्य में व्याप्त सारवान प्रकृति की विसंगतियॉ व भिन्नताओं से भी उपरोक्त साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय माने जाने योग्य नहीं है।

17. इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा कथित दिनांक 20.10.2011 को समय 11:45 बजे दिन में जॉच दल द्वारा घटनास्थल पर कथित जांच की कार्यवाही को ही संदिग्ध होना बताया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत आक्षेपण के प्रकाश में अभियोजन मामले की सत्यता का निर्धारण, अभियोजन द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में किया जाना अपेक्षित है।

18. बचाव पक्ष द्वारा बहस के स्तर पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 20.10.2011 को समय करीब 11:45 बजे दिन में अभियुक्त के कोल्हू की जांच करने के उपरांत लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के माध्यम से दिनांक 21.10.2011 को समय 22:00 बजे अभियोग पंजीकृत कराया गया जो 1 दिन के विलम्ब से पंजीकृत कराया गया है। प्रकरण में विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखावाये जाने संबंधी बचाव पक्ष के आक्षेपण के स्पष्टीकरण स्वरूप अभियोजन की ओर से कोई युक्ति-युक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके दृष्टिगत बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस तर्क में बल पाया जाता है।

19. पी.डब्लू.1 वादी मुकदमा अवर अभियन्ता सत्य प्रकाश द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा के माध्यम से दिनांक 20.10.2011 को मशकूर हसन ठेकेदार, प्राईवेट लाईनमैन शहवान के साथ ग्राम थीथकी में समय 11:45 बजे विद्युत चैकिंग पर अभियुक्त मुशीर पुत्र अब्दुल सलाम ग्राम थीथकी को 25 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मर से एल.टी.लाईन पर तीन कोर की काले रंग की केबिल डालकर बिना विभागीय स्वीकृति के खड़ा कोल्हू चलाते हुये पाये जाने, तहरीर पर हमराहियान तथा स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होने, चैकिंग रिपोर्ट मौके पर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किये जाने तथा मौके से कोई भी केबिल काटकर कब्जे में न लिये जाने का कथन करते हुये तहरीर व चैकिंग रिपोर्ट को प्रदर्श क–1 व प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया गया। कथित दिनांक, समय व स्थान पर की गयी जॉच कार्यवाही की सत्यता व विश्वसनीयता को संदिग्ध दर्शित करने के क्रम में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा में साक्षी द्वारा किये गये इस कथन पर बल दिया गया कि **मैंने कोई 7.5 एच.पी. की मोटर कब्जे में नहीं ली थी, न ही कोई केबिल जिसे डालकर विद्युत चोरी की जा रही थी, काटकर कब्जे में लिया था। मैं मुल्जिम मुशीर को पहले से नहीं जानता था, न मैं जेल पर अभियुक्त मुशीर की शिनाख्त करने गया। मेरी ध्यान नहीं कि मुल्जिम मुशीर मौके से भागा था या नहीं। मैं अब भी मुल्जिम मुशीर को नहीं पहचान सकता। जिस आदमी ने यह बताया था कि यह कोल्हू मुल्जिम मुशीर का है मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता, जो लोगों ने नाम बताया वह मैंने रिपोर्ट में लिखवा दिया था। मैं नहीं बता सकता की घटनास्थल वाला खेत कितना बड़ा था। मैं यह भी नहीं बता सकता कि घटनास्थल के आसपास किन-किन लोगों के खेत थे और खेतों में क्या-क्या फसल थी। मैं विवेचक के साथ घटनास्थल पर गया था, कितने दिन बाद गया था, याद नहीं है।** घटनास्थल के पास सड़क पूर्व-पश्चिम चलती है। मौके पर कुल कार्यवाही में लगभग 35-40 मिनट का समय लगा था। **मौके पर पब्लिक के काफी लोग आ गये थे। मैंने उनमें से किसी को गवाह नहीं बनाया था। जहां से मुल्जिम ने केबिल डाल रखा था वहां से कोल्हू लगभग 20-25 मीटर दूर था।** मुल्जिम ने काले रंग का केबिल डाल रखा था। **हम लोगों ने जांच के दौरान उस तार को नहीं काटा था जिस तरह से तार लगा था उसी तरह से छोड़ दिया था, मोटर बंद करवा दी थी। घटना वाले दिन ही थाने पर रिपोर्ट लिखवा दी थी। घटनावाले दिन शाम 7-8 बजे थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखवा दी थी।** हम थाने पर लगभग 10 मिनट रूके थे। चिक की नकल कब मिली, मुझे नहीं पता। मुझे जानकारी नहीं है कि ग्राम थीथकी में भारी पार्टीबाजी है या नहीं। **घटनास्थल वाले खेत का मालिक मौके पर नहीं था, किसका खेत था मैं नहीं बता सकता।** साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से मौके से कोई केबिल काटकर कब्जे में न लिये जाने का तथ्य प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन करते हुये साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में मौके से कोई 7.5 एच.पी. की मोटर व केबिल कब्जे में न लिये जाने का कथन किया गया। चूॅकि प्रकरण में मुख्य आक्षेपण अनाधिकृत रूप से बिजली चोरी कर बिजली की मोटर से कोल्हू संचालन से ही संबंधित है, उक्त आक्षेपण की प्रमाणिकता सिद्ध किये जाने के निमित्त कथित घटना में प्रयुक्त उपरोक्त बिजली की मोटर व केबिल अत्यन्त महत्वपूर्ण व सारवान साक्ष्य रहा है किन्तु साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कथित मोटर व तार अथवा उससे संबंधित साक्ष्य किन परिस्थितियों में कब्जे में नहीं लिया गया। साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के माध्यम से घटना वाले दिन दिनांक 20.10.2011 को ही शाम के लगभग 7-8 बजे थाने पहुंचकर मुकदमा पंजीकृत कराये जाने का तथ्य प्रस्तुत किया गया जबकि इसके सर्वथा विपरीत चिक एफ.आई.आर. में दिनांक 21.10.2011 को समय 22:00 बजे मुकदमा पंजीकृत होना अंकित है। इसके अतिरिक्त, साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में मुल्जिम मुशीर को पहले से न जानने-पहचानने तथा बयान की तिथि पर भी मुल्जिम मुशीर को न पहचानने व लोगों के बताने के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराये जाने का तथ्य प्रस्तुत करते हुये घटनास्थल वाले खेत की लम्बाई व चौड़ाई तथा उसके आस-पास स्थित खेतों व फसलों के सम्बन्ध में जानकारी होने से अनभिज्ञता दर्शित की गयी जिसके दृष्टिगत कथित दिनांक, समय व स्थान पर की गयी जांच संदिग्ध दर्शित होती है। इसके अतिरिक्त, साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के माध्यम से **मुल्जिम द्वारा केबिल डाले जाने वाले स्थान से कोल्हू की दूरी लगभग 20-25 मीटर दूर होने का तथ्य प्रस्तुत किया गया, इसके सर्वथा विपरीत पी.डब्लू.4 मशकूर हसन, ठेकेदार द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में केबिल डालने वाले स्थान से कोल्हू की दूरी एक-दो किलोमीटर होना बताया गया।** इस प्रकार उपरोक्त दोनों साक्षीगण के साक्ष्य में व्याप्त

सारवान प्रकृति की विसंगतियॉ व भिन्नताओं के फलस्वरूप कथित जांच कार्यवाही की सत्यता व विश्वसनीयता पूर्णतः स्थापित नहीं पायी जाती है।

20. पी.डब्लू.2 शहवान लाईनमैन द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा के माध्यम से दिनांक 20.10.2011 को जे.ई. सत्यप्रकाश व ठेकेदार मशकूर हसन के साथ थीथकी गांव में लाईनमैन के तौर जाने, जे.ई. साहब द्वारा मुशीर के खड़े कोल्हू को चैक करने पर मुशीर का एल.टी. लाईन से केबिल डालकर बिजली की मोटर चलाया जाना पाये जाने, जे.ई. साहब द्वारा कनेक्शन सम्बन्धित कागजात मांगने पर अभियुक्त मुशीर द्वारा कागजात न दिखाये जाने, जे.ई. साहब द्वारा चैकिंग रिपोर्ट भरी जाने, चैकिंग रिपोर्ट को देखकर हस्ताक्षर नहीं करने तथा अंगूठा लगाये जाने, जे.ई. साहब द्वारा तहरीर लिखकर मुकदमा पंजीकृत कराये जाने तथा विवेचक द्वारा बयान लिये जाने का तथ्य प्रस्तुत किया गया। अपनी सशपथ प्रतिपरीक्षा के माध्यम से इस साक्षी द्वारा कथित अपराध में अभियुक्त मुशीर की भूमिका व संलिप्तता के बिन्दु पर अभियोजन कथानक के सर्वथा विपरीत तथ्य प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया कि **मैं हस्ताक्षर करना नहीं जानता, केवल अंगूठा लगाता हूं। गवाह ने प्रदर्श क-1 देखकर कहा कि इस पर जो हस्ताक्षर हैं वह मेरे नहीं है। मैं तो अंगूठा लगाता हूं। प्रदर्श क-2 को देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर से इंकार किया। मैंने कभी प्राईवेट लाईनमैनी नहीं की, ना ही मैं कभी घटनास्थल पर गया। मैं हाजिर अदालत मुल्जिम को पहले से नहीं जानता, ना ही उसकी शिनाख्त करने जेल पर गया और ना ही मैं इसे आज पहचानता हूं, मैंने कभी भी किसी विद्युत अधिकारी के साथ कार्य नहीं किया और ना कभी किसी अधिकारी के साथ विद्युत चैकिंग पर गया। मैं दिनांक 20.10.2011 को जे.ई. सत्य प्रकाश के साथ थीथकी गांव में लाईनमैन के तौर पर नहीं गया, ना ही मेरे सामने जे.ई. साहब ने मुशीर का कोई कोल्हू चैक किया था। मैंने यह भी नहीं देखा कि मुशीर ने एल.टी. लाईन से विद्युत मोटर चला रखी थी। मुझे नहीं पता कि वाद उपरोक्त में कैसे गवाह रख लिया। मेरे सामने कोई घटना कारित नहीं हुयी।** इस प्रकार साक्षी द्वारा कथित घटना में अभियुक्त की संलिप्तता व भूमिका के बिन्दु पर प्रकरण के विभिन्न स्तरों पर परस्पर भिन्न व विरोधाभाषी अभिकथन प्रस्तुत किया गया है। जहां अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में इस साक्षी द्वारा दिनांक 20.10.2011 को जे.ई. सत्यप्रकाश व ठेकेदार मशकूर हसन के साथ ग्राम थीथकी में जाकर मुशीर के खड़े कोल्हू को चैक करने, अभियुक्त मुशीर द्वारा एल.टी. लाईन से केबिल डालकर बिजली की मोटर से कोल्हू चलाये जाने, अवर अभियन्ता द्वारा कनेक्शन सम्बन्धित कागजात मांगने पर अभियुक्त मुशीर द्वारा कागजात न दिखाये जाने, जे.ई. द्वारा चैकिंग रिपोर्ट भरी जाने, जे.ई. साहब द्वारा तहरीर लिखकर मुकदमा पंजीकृत कराये जाने का कथन किया गया, इसके सर्वथा विपरीत प्रतिपरीक्षा के माध्यम से कभी भी प्राईवेट लाईनमैन का कार्य न किये जाने, ना ही कभी घटनास्थल पर जाने, अभियुक्त मुशीर को न पहचानने, कभी भी किसी विद्युत अधिकारी के साथ कार्य न करने, न ही कभी किसी अधिकारी के साथ विद्युत चैकिंग हेतु जाने, दिनांक 20.10.2011 को जे.ई. सत्य प्रकाश के साथ थीथकी गांव में बतौर लाईनमैन के तौर पर न जाने, ना ही स्वयं के सामने जे.ई. साहब द्वारा मुशीर का कोई कोल्हू चैक किये जाने, न ही मुशीर को एल.टी. लाईन से केबिल जोड़कर विद्युत मोटर चलाते हुये देखने तथा स्वयं के सामने किसी प्रकार की कोई घटना कारित न होने का तथ्य प्रस्तुत किया गया। दौरान प्रतिपरीक्षा अभियोजन कथानक के विपरीत तथ्य प्रस्तुत किये जाने के उपरांत भी अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कराने हेतु कोई तत्परता दर्शित न किये जाने के फलस्वरूप साक्षी द्वारा प्रस्तुत सशपथ अभिकथन अभियोजन के प्रतिकूल विधितः पठनीय है।

21. पी.डब्लू.3 विवेचक उपनिरीक्षक हरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा के माध्यम से प्रकरण में विवेचना ग्रहण कर नक्शा-नजरी प्रदर्श क-3 वादी मुकदमा की निशानदेही पर तैयार किया जाना अभिकथित किया गया। साक्षी द्वारा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मुशीर के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-4 अपने लेख व हस्ताक्षर में न्यायालय प्रेषित किया जाना प्रमाणित किया गया। तथाकथित जॉच कार्यवाही की सत्यता व विश्वसनीयता को संदिग्ध दर्शित करने के क्रम में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा में साक्षी द्वारा किये गये इस कथन पर बल दिया गया कि **दौरान विवेचना मैंने 7.5 एच.पी. की मोटर कब्जे में नहीं लिया, ना ही**

कोई केबिल कब्जे में लिया। दौरान विवेचना मैंने मुल्जिम की कोई कार्यवाही शिनाख्त नहीं करायी। यह भी सही है कि मुझे दौरान विवेचना जनता का कोई गवाह नहीं मिला। स्वयं कहा कि जिस जगह पर अभियुक्त मुशीर का कोल्हू लगा था उस भूमि का मालिक अली हसन का बयान लिया था, वही गवाह है, स्वयं कहा कि अली हसन घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। यह सही है कि केस डायरी के पर्चो पर सी.ओ. साहब के हस्ताक्षर के नीचे तारीख नहीं है। वाद उपरोक्त की घटना दिनांक 21.11.2011 की बतायी जाती है और गवाहान के बयान मैंने 04.12.2011 व दिनांक 12.12.2011 में अंकित किये है। विवेचक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि विवेचना के दौरान कथित घटनास्थल, कोल्हू, मोटर व केबिल से अभियुक्त मुशीर की सम्बद्धता स्थापित करने के संबंध में कोई पुष्ट साक्ष्य दौरान विवेचना प्राप्त नहीं हुआ, वरन् वादी मुकदमा तथा जॉच दल के सदस्यों के अभिकथनों के आधार पर ही सम्बन्धित विवेचक द्वारा तद्विषयक निष्कर्ष प्रदान किया गया। अतः अभियोजन बरामदगी स्थल, कोल्हू, मोटर व केबिल से अभियुक्त की सम्बद्धता को स्थापित करने में पूर्णतः सफल नहीं पाया जाता है। चूॅकि अभियोजन की ओर से मुख्य आक्षेपण अनाधिकृत रूप से बिजली चोरी कर बिजली की मोटर से कोल्हू संचालन से ही संबंधित है, उक्त आक्षेपण की प्रमाणिकता सिद्ध किये जाने के निमित्त कथित घटना में प्रयुक्त उपरोक्त बिजली की मोटर व केबिल अत्यन्त महत्वपूर्ण व सारवान साक्ष्य रहा है। तर्क के उद्देश्य से यदि यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्त द्वारा मौके पर विरोध व कार्यवाही बाधित करने के कारण ही उपरोक्त कथित बिजली की मोटर व केबिल कब्जे में नहीं लिया जा सका, दौरान विवेचना भी मौके पर घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान कथित मोटर व केबिल अथवा उससे संबंधित साक्ष्य किन परिस्थितियों में कब्जे में नहीं लिया गया, इसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया जो सम्पूर्ण घटना को संदेहास्पद दर्शित करता है।

22. पी.डब्लू.4 मशकूर हसन, ठेकेदार द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा के माध्यम से दिनांक 20.10.2011 को सत्य प्रकाश जे.ई. के साथ समय 11:45 बजे ग्राम थीथकी के अली हसन पुत्र नजीर की जगह पर पहुंचने, वहां पर मुशीर पुत्र अब्दुल सलाम द्वारा 25 के.वी.ए. ट्रांसफार्मर से तीन कोर की केबिल डालकर मोटर से जुड़ा पाये जाने, मौके पर मुशीर द्वारा कोई कागज न दिखाये जाने का कथन कर प्रदर्श क–1 तहरीर व प्रदर्श क–2 चैकिंग रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गयी। कथित दिनांक, समय व स्थान पर की गयी जॉच कार्यवाही की सत्यता व विश्वसनीयता को संदिग्ध दर्शित करने के क्रम में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा में साक्षी द्वारा किये गये इस कथन पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि **घटनास्थल पर किसी भी प्रकार की लिखा-पढ़ी नहीं हुयी थी। प्रदर्श क-1 व प्रदर्श क-2 पर मेरे हस्ताक्षर बिजली दफ्तर में हुये थे। घटनास्थल पर मोटर लगाकर उस समय कोई चोरी नहीं हो रही थी और मोटर बन्द पड़ी थी। उस समय हाजिर अदालत मुल्जिम मुशीर मौके पर नहीं मिला था। मैं हाजिर अदालत मुल्जिम मुशीर को घटना से पहले से नहीं जानता था, ना मैं कभी उसकी शिनाख्त करने जेल पर गया। प्रदर्श क-1 व प्रदर्श क-2 मेरे सामने तैयार नहीं किये थे। मेरे बाद में हस्ताक्षर कराये थे। मौके से कोई मोटर या केबिल कब्जे में नहीं लिया गया था।मैं सरकारी तौर पर लिखत-पढ़त में ठेकेदार नहीं था। घटनास्थल वाला खेत कितना बड़ा है, मैं नहीं बता सकता। उस समय खेत में किसकी फसल व कैसी फसल थी, नहीं बता सकता। जहां केबिल डाल रखा था वहां से कोल्हू लगभग एक-दो किलोमीटर दूर है।** हम लोग घटनास्थल पर दिन में करीब 11:00 बजे पहुंचे थे। मौके पर 4-5 मिनट रूके थे, वास्ते चैकिंग विधुत विभाग की जीप से गये थे। साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा के अग्रेतर स्तर पर कथन किया गया कि खेत वाला मालिक खेत पर नहीं था। मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि घटनास्थल वाला खेत किसका था। **प्रदर्श क-1 व प्रदर्श क-2 पर मेरे अलावा किस-किस के हस्ताक्षर है, नहीं पता। मेरा इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया।** इस प्रकार साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के माध्यम से घटनास्थल पर किसी भी प्रकार की लिखा-पढ़ी न होना, उसके हस्ताक्षर बाद में बिजली घर पर कराया जाना तथा तहरीर प्रदर्श क-1 व चैकिंग रिपोर्ट प्रदर्श क-2 उसके सामने तैयार न किया जाना अभिकथित किया गया जो घटना के समय मौके पर चैकिंग रिपोर्ट अथवा अन्य कागजात तैयार किये जाने सम्बन्धी अभियोजन कथानक को संदिग्ध दर्शित करता है।

23. पी.डब्लू.5 एफ.आई.आर. लेखक सी.सी. 1111 लोकेश कुमार द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा के माध्यम से दिनांक 21.10.2011 को वादी मुकदमा सत्य प्रकाश अवर अभियंता की लिखित तहरीर व चैकिंग रिपोर्ट के आधार पर मु.अ.सं. 662/2011 बनाम मुशीर, अंतर्गत धारा 135(2) विद्युत अधिनियम की चिक, समय 22:00 बजे पंजीकृत किया जाना अभिकथित कर चिक एफ.आई.आर. को प्रदर्श क-5 व कार्बन प्रति जी.डी. कायमी को प्रदर्श क-6 के रूप में साबित किया गया। साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के माध्यम से कथन किया गया कि यह बात सही है कि प्रदर्श क–6 की असल मेरे सामने नहीं है। यह भी सही है कि घटनास्थल से थाने की दूरी 8 किलोमीटर है। **यह बात सही है कि एफ.आई.आर. दर्ज करते समय 7.5 एच.पी. का मोटर व केबिल थाने नहीं लाया गया। यह सही है कि प्रदर्श क–2 में वादी व गवाहान के हस्ताक्षर के नीचे तारीख नहीं है।**

24. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के सशपथ मौखिक साक्ष्य, चैकिंग रिपोर्ट प्रदर्श क-2 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर मौजूद न होने से जहॉ कथित दिनांक, समय व स्थान पर जांच सम्बन्धी अभियोजन कथन स्थापित नहीं पाया जाता, प्रकरण में लगभग 1 दिन विलम्ब से अभियोग पंजीकृत कराये जाने, कथित घटनास्थल से विद्युत चोरी में प्रयुक्त मोटर व केबिल कब्जे में न लिये जाने, स्वतंत्र गवाहान उपाप्त न किये जाने तथा बरामदगी स्थल से अभियुक्त की सम्बद्धता स्थापित न होने के आधार पर कथित घटना विश्वसनीय नहीं पायी जाती है, जो सम्पूर्ण अभियोजन कथानक की सत्यता व विश्वसनीयता को संदिग्ध दर्शित करती है।

25. उपरोक्त के दृष्टिगत अभियोजन, अभियुक्त मुशीर के विरूद्ध आरोपित आरोप धारा 135(2) विद्युत अधिनियम का गठन युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सर्वथा विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप संदेह का लाभ प्रदान करते हुये अभियुक्त को उक्त आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मुशीर को धारा 135(2) विद्युत अधिनियम 2003 के आरोप में संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के प्रतिभू व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा अभियुक्त के प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त मुशीर द्वारा आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर बीस हजार रूपये के दो सक्षम प्रतिभू एवं इसी धनराशि का स्व- बंधपत्र, धारा 437 ए दं.प्र.सं. के अनुपालन में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये।

दिनांक 06.04.2026

(प्रकाश तिवारी)
विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-4, सहारनपुर।
आई.डी.-यू.पी.6317

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक 06.04.2026

(प्रकाश तिवारी)
विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-4, सहारनपुर।
आई.डी.-यू.पी.6317

Digitally signed by PRAKASH TIWARI
Date: 2026.04.06 16:04:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court